न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 141/2017 **दायरा दिनांक : 26.10.2017**

उनवान

1— रेवन्त कुंवर बाई पत्नी शिवसिंह, जाति राजपूत, निवासी पीपालिया, तहसील बडौद

2— काली बाई पत्नी पूरसिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

3— मोहन बाई पुत्री फतेसिंह, निवासी सेमली, तहसील शामगढ

4— कालूसिंह आत्मज परवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

5— गुमानसिंह आत्मज परवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

6— शोदानसिंह आत्मज परवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

7— अर्जुन सिंह आत्मज परवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

8— हुडा बाई पत्नी परवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

9— इन्दरसिंह आत्मज भवानी सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

10— किशन बाई विधवा भवानीसिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

11— पूरसिंह आत्मज भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

12— शिवसिंह आत्मज भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

.... अपीलांट

बनाम

1— किशन लाल आत्मज रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

2— बगत बाई पुत्री भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

3— नोदियान बाई पुत्री भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

4— इंदरबाई पत्नी भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

5— रेजमबाई पत्नी मांगीलाल, जाति राजपूत, निवासी करावन

6— कमला बाई पत्नी बापूलाल, जाति राजपूत, निवासी करावन

7— प्रबन्धक बैंक आफ बडौदा शाखा भवानीमण्डी

8— प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मिश्रोली

9— सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 142/2017 **दायरा दिनांक : 06.11.2017**

उनवान

1— रेवन्त कुंवर बाई पत्नी शिवसिंह, जाति राजपूत, निवासी पीपालिया, तहसील बडौद

2— काली बाई पत्नी पूरसिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

3— मोहन बाई पुत्री फतेसिंह, निवासी सेमली, तहसील शामगढ

4— कालूसिंह आत्मज परवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

5— गुमानसिंह आत्मज परवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

6— शोदानसिंह आत्मज परवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

7— अर्जुन सिंह आत्मज परवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

8— हुडा बाई पत्नी परवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

9— इन्दरसिंह आत्मज भवानी सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

10— किशन बाई विधवा भवानीसिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

11— पूरसिंह आत्मज भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

12— शिवसिंह आत्मज भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

.... अपीलांट

बनाम

1— किशन लाल आत्मज रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

2— बगत बाई पुत्री भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

3— नोदियान बाई पुत्री भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

4— इंदरबाई पत्नी भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन

5— रेजमबाई पत्नी मांगीलाल, जाति राजपूत, निवासी करावन

6— कमला बाई पत्नी बापूलाल, जाति राजपूत, निवासी करावन

7— प्रबन्धक बैंक आफ बडौदा शाखा भवानीमण्डी

8— प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मिश्रोली

9— सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 20.03.2018**

1 ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2 ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 196/2013 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14.07.2015 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 03.08.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

3 अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम करावन, तहसील पचपहाड में जमाबंदी संख्या नया 577 पुराना 527 में खसरा नम्बर 472 रकबा 30 बीघा 4 बिस्वा स्थित है, जो वादी और प्रतिवादी के शामलाती खाते की है जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा है । प्रतिवादीगण 11 लगायत 14 सहखातेदार भैरू सिंह के वारिस हैं । संयुक्त खाते में आराजी रहने से काश्त करने, ऋण लेने में परेशानी आती है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.07.2015 को दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और दिनांक 03.08.2016 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है । दोनों अपीले प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है ।

4 अपील संख्या 142/2017 प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई और यह कथन किया गया है कि बिना पक्षकारों की सहमति के लोक अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । सी पी सी की पालना नहीं की है । सैटलमेंट से पूर्व वादी या उनके पिता खातेदार नहीं थे । सैटलमेंट विभाग ने बिना किसी आधार के उनका नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज किया है । अतः अपील

अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

5 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 03.07.2017 को हुई । उसके उपरान्त नकल प्राप्त की गई । नकल प्राप्ति के दिनांक से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

6 अपील संख्या 141/2017 अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई और यह कथन किया गया है कि अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । प्रारम्भिक डिक्री विधि विरूद्ध है । नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

7 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व सुनवायी का अवसर नहीं दिया है । दिनांक 03.07.2017 को प्रतिपक्षी के द्वारा बताये जाने पर निर्णय की जानकारी हुई और नकल के लिए आवेदन किया । नकल प्राप्ति के दिनांक से अपील को अवधि मध्य माना जाये ।

8 दोनों अपीलें प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

9 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकार उपस्थित नहीं थे और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया था, फिर भी दावा डिक्री किया गया है, जो सी पी सी के प्रावधानों के विपरीत है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः दोनों अपीले स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

10 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में दोनों पत्रावलियों में पेश किये गये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

11 अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में उभयपक्षकारान में से कोई भी उपस्थित नहीं हुए फिर भी उसी दिन दावा डिक्री किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो, इसके अभाव में सी पी सी की पालना में जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.07.2015 विधि विरूद्ध है और खारिज होने योग्य है ।

12 जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांट प्रतिवादीगण को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान

नहीं किया गया है । पैरा संख्या 11 में किये गये विवेचन के अनुसार अंतिम डिक्री भी विधि विरूद्ध है । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का एवं आई एल आर के द्वारा तैयार किये गये हैंजबकि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी की गई अंतिम डिक्री भी विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है ।

13 उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 142/2017 एवं 141/2017 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारिम्भक डिक्री दिनांक 14.07.2015 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 03.08.2016 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी करें और प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से प्राप्त करें । विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.05.5018 को उपस्थित होवें ।

14 निर्णय आज दिनांक 20.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा